"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई 2018 — आषाढ़ 21, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2018

अधिसूचना
सं. 29/2018-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-35/2018/वाक/पांच(52). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये 12 जून, 2018 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 125 में, 'रक्षोपाय महानिदेशालय' शब्दों के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 129 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों, जहां कहीं भी ये शब्द हैं, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) नियम 130 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों के स्थान पर दोनों जगहों पर जहां वे आएं हों 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) नियम 131 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

(v) नियम 132 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

(vi) नियम 133 में, 'रक्षोपाय महानिदेशक' शब्दों, जहां कहीं भी ये शब्द हैं, के स्थान पर 'मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशक' शब्द रखे जाएंगे;

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2018

क्रमांक एफ-10-35/2018/वाक/पांच(52). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-35/2018/वाक/पांच(52), दिनांक 06--07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 6th July 2018

NOTIFICATION
No. 29/2018 – State Tax

No. F-10-35/2018/CT/V (52). — In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 12th day of June, 2018.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, -

   (i) in rule 125, for the words "Directorate General of Safeguards", the words "Directorate General of Anti-profiteering" shall be substituted;

   (ii) in rule 129, for the words "Director General of Safeguards", wherever they occur, the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted;

   (iii) in rule 130, in sub-rule (2), for the words "Director General of Safeguards", at both places where they occur, the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted;

   (iv) in rule 131, for the words "Director General of Safeguards", the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted;

   (v) in rule 132, in sub-rule (1), for the words "Director General of Safeguards", the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted;

   (vi) in rule 133, for the words "Director General of Safeguards", wherever they occur, the words "Director General of Anti-profiteering" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.